फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री रणजीतलाल** विपक्षी :– **श्रीमती आशा बाई**

किस्म मुकदमा :– 53 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– 200/22

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/509

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 31.10.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) जा.दी. पर सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की उक्त वाद में सेहवन से लिपिकीय त्रूटि होने से संशोधन करवाया गया था। जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र में वर्णन किया गया है। जिसकी आपत्ति अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा की गई। इस कारण से वादीगण द्वारा नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए इस वाद को इसी स्तर पर विड्रो करने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की हस्तगत वाद विड्रो करने की आज्ञा जिन आधारो पर चाही गयी है, वह सभी आधार प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. में लिये गये थे। जिसको न्यायालय द्वारा खारिज कर देने से निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस कारण से उक्त पत्रावली में निगरानी विचाराधीन रहते हुए निर्णय पारित नही किया जा सकता है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) जा.दी. का एवं इसके जवाब का ध्यानपर्वूक अध्ययन किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा उक्त वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। जिसमें त्रूटि होने से वादी द्वारा संशोधन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार कर संशोधन किए जाने के आदेश दिए गए। उसके पश्चात न्यायालय द्वारा किए गए संशोधन पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आपत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया गया। जिसकी निगरानी प्रतिवादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई। वर्तमान में अधिवक्ता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punamiya
Date: 2025.12.24 17:21:41 IST
Reason: SelfAttested

वादी स्वयं नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को विड्रो कर नया वाद प्रस्तुत करना चाहता है। इस संबंध में न्यायालय का मानना है कि उक्त वाद पत्र में त्रुटि होने से बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। जिन पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा आपत्ति की गई। यदि उक्त वाद को विड्रो कर नया वाद प्रस्तुत करने के अनुमति नही दी जाती है तो वादी के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी वादी स्वयं अपना वाद विड्रो करना चाहता है जिसका सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानो के अनुसार वादी को पूर्ण अधिकार है। अधिवक्ता प्रतिवादी का मुख्य रूप से एक ही कथन है कि उक्त वाद की निगरानी होने से विड्रो नही किया जा सकता है। प्रतिवादी का यह कथन माने जाने योग्य नही है क्योंकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्रावली की कार्यवाही स्थगित रखने संबंधी किसी प्रकार का कोई स्थगन जारी नही किया गया है। चुंकि प्रकरण में स्वयं ही अधिवक्ता वादीगण द्वारा नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए वाद विड्रो करना चाहता है, ऐसे में वाद को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी का प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 निमय 1 (3) जा.दी. (वाद विड्रो) का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद नया वाद लाने के अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए इसी स्तर पर विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:41 IST
Reason: SelfAttested